मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः28.04.2025

थाना अदलहाट क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भोरमार माफी में ईंट-भट्ठा के पास मिले एक व्यक्ति के शव मिलने की घटना से सम्बन्धित 02 अभियुक्त गिरफ्तार—

थाना अदलहाट, जनपद मीरजापुर पर दिनांकः 27.04.2025 को वादिनी गीता पत्नी स्व0 शंकर निवासिनी भोरमार माफी थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध वादिनी के पति की मारपीट की गयी जिससे उनकी मृत्यु होने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अदलहाट पर मु0अ0सं0-120/2025 धारा 105 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

"सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा तत्समय घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन के नेतृत्व में पुलिस टीमें गठित कर घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना अदलहाट पर पंजीकृत उक्त अभियोग की विवेचना के क्रम में सुरागरसी पतारसी व इलेक्ट्रानिक/भौतिक साक्ष्य संकलित करते हुए आज दिनांकः 28.04.2025 को थाना अदलहाट पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना अदलहाट क्षेत्रांर्गत ग्राम कोलउन्द नियर न्यू अहरौरा रेलवे स्टेशन आउटर के पास से घटना से सम्बन्धित 02 अभियुक्तगण 1. छोटू कुमार पुत्र प्रेमनाथ व 2. रविन्द्र भारतीय पुत्र प्रेमनाथ निवासीगण भोरमार माफी थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर रक्तरंजित कपड़े बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अदलहाट पुलिस द्वारा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

विवरण पूछताछ —

गिरफ्तार अभियुक्त रविन्द्र द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोगो द्वारा गांव में स्थित ईट-भट्ठा के पास अक्सर शाम को बैठकर शराब पीते है, दिनांक 27.04.2025 को गांव में मैच देखते समय शंकर द्वारा कहां गया कि चलो शराब पिलाओं तो मैने मना करते हुए शंकर को एक झापड़ मार दिया गया। उसी रात शंकर शराब के नशे में मेरे घर के सामने आकर गाली देने लगा। जिससे आक्रोश में आकर मेरे और मेरे भाई द्वारा उसके साथ मारपीट कर ईट-भट्ठा पर लाया गया जहां उसके सर पर ईट मारकर बेहोश कर दिया गया। हम लोग भी शराब के नशे में थे तथा शंकर को बेहोश समझकर वहीं ईट-भट्ठे पर छोड़कर अपने घर वापस आ गया। सुबह पता चला की उसकी मृत्यु हो गयी है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

छोटू कुमार पुत्र प्रेमनाथ निवासी भोरमार माफी थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-30 वर्ष।

रविन्द्र भारतीय पुत्र प्रेमनाथ निवासी भोरमार माफी थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-35 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0-120/2025 धारा 105 बीएनएस थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर।

विवरण बरामदगी –

- रक्त रंजित कपड़े।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय –

ग्राम कोलउन्द नियर न्यू अहरौरा रेलवे स्टेशन आउटर के पास से, दिनांकः 28.04.2025 को समय 11.40 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार मिश्रा थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर।

निरीक्षक अपराध रामप्रीत यादव मय पुलिस टीम।